

9812 प्रश्न सं. [क. 1414] फार्म नं. 1

प्रथम सूचना प्रतिवेदन (धारा 157 द. प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत)

15 D-3

FIRST INFORMATION REPORT (Under Sec. 154 Cr. P.C.)

जिला: भोपाल *थाना: कोटवाड़ा *वर्ष: 2015 *प्र.सू.प.क्र.: 107/15 *दिनांक: 12/21/15

विधान: अ. द. वि. धाराएं: 419, 420, 467, 468, 471, 120B, i/c

(3) विधान: धाराएं

(4) *अन्य विधान-एवं धाराएं: 3/4 परीसा इच्छे

3. (अ) संदर्भित रोजनामचा सान्हा क्र.

(ब) घटना का दिन: *दिनांक: वर्ष 2009 *समय: ...

(स) थाने पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक: 12/21/15 समय: 21-45 रो.सा. क्र.

4. सूचना का प्रकार *लिखित / मौखिक: ...

5. घटना स्थल: (अ) थाने से दिशा व दूरी: ...

(ब) *घटना स्थल का पता: गांधी मेडीकल कॉलेज हमीरिया भोपाल

(स) घटना स्थल अन्य थाना क्षेत्राधिकार है तो थाना: ... जिला: ...

6. अभियोगी/सूचनाकर्ता: (अ) नाम: गुरु प्रसाद द्विवेदी

(ब) पिता/पति/पालक का नाम: शंकरधर द्विवेदी

(स) जन्म दिनांक/वर्ष: 35 (ड) राष्ट्रीयता: भारतीय

(द) पासपोर्ट नं.: ... जारी दिनांक: ... जारी होने का स्थान: ...

(क) व्यवसाय: ... (ख) पता: ग्राम रैकर पो. मइली जिला

सीधा हात- 6-7 जखपुरा कालोनी नीलबड़ भोपाल M.9424859564

7. ज्ञात/अज्ञात/संदेही/आरोपी का पूर्ण विवरण (आवश्यकतानुसार पृथक् पृष्ठ का प्रयोग करें)

1. विकास सिंह, सोहन लाल सिंह नि. ग्राम निमगाहन्य नि. रैकर

2. कपिल वर्मा शंकर सिंह वर्मा नि. ग्राम गोरखपुर नि. नरसिंहपुर

3. रावें सोलंकी श. पी. एस. सोलंकी नि. कुसी नि. धार

4. दिलीप सोहन श. पुताप सिंह सोहन नि. शंकरपुरा नि. खरगोन

5. प्रवीण कुमार शंकरदा प्रसाद नि. ग्राम धांचा नि. खतपुर

8. अभियोगी/सूचनाकर्ता द्वारा सूचना दिये जाने में विलम्ब का कारण: ...

9. अपहृत/सम्बद्ध सम्पत्ति का पूर्ण विवरण (आवश्यकतानुसार पृथक् पृष्ठ का प्रयोग करें)

10. *अपहृत/सम्बद्ध सम्पत्ति का कुल मूल्य: ...

11. *मग/अकाल मृत्यु सूचना क्रमांक (यदि हो): ...

12. प्रथम सूचना विवरण: (आवश्यकतानुसार पृथक् पृष्ठ का प्रयोग करें)

मनोज कुमार सिंह
 (अधीन) विभाग,
 बhopal, Madhya Pradesh

(Manoj Kumar Singh) I.P.S
 Assistant Inspector General of Police
 S.T.F., Bhopal

मैं शान्त. कोहेरिजा में उप निरी. के पद पर पदस्थ हूँ। निरीक्षण की
 वहीर खान द्वारा श्री मान. पु. अधी. मखे. (उत्तरांच) भोपाल द्वारा प्रकाश पदस्थ
 हेतु आवेदन गुरु प्रसाद द्वारा प्रस्तुत आवेदन उपरोक्त भाव्य प्रस्तुत निरीक्षण
 गुरुप्रसाद के आवेदन की जांच निरी. श्री वहीर खान (SIT) द्वारा करायी गयी थी जिसमें
 जांच पर विकास सिंह, कपिल पते, एच. सोलंकी दिल्ली चोखन, प्रवीण गुप्ता के विषय धारा
 419, 420, 467, 468, 471, 120B PC व 314 परीक्षा अधी. के अंतर्गत प्रथम दृष्टया अपराध चरित
 करना प्राप्त गया है। नकल प्रार्थित पर निम्न प्रकार है। सच में, श्रीमान. श्रीम. प्रवीण
 अधी. मखे. प्रभाटी एच. एच. ए. श्री. भोपाल विषय. आवेदन गुरु प्रसाद दिल्ली की शिकायत
 में जांच प्रविंदन के समर्थ में सुर्मा. स. न. (मुज्जा) एच. ए. ए. / सी-310/2014 दिनांक
 24/11/14 मधे. उक्त विषयगत निवेदन है कि उक्त शिकायत जांच मुद्दा निरीक्षण वहीर
 खान द्वारा की गयी। जिसमें प्राथमिक रूप से जांच करने पर जांच द्वारा आईएसिंग के
 समर्थ गंधी मेडिकल कॉलेज भोपाल को पदत. इत्यादि जिसमें से मूल पी. ए. टी. एच. सी.
 व गंधी मेडिकल कॉलेज के ही उक्त संदिग्ध छात्रों के एडमिशन के समय भेट गये
 फोटो मुक्त इत्यादि प्राप्त किये गये। फोटो मिलान पर प्राप्त गया कि मुक्त संदिग्ध
 छात्रों के एडमिशन फार्म में लगे फोटो प्रवेश लेने समय लपट गयी फोटो के अति
 प्रतीत होती है जिससे यह प्रतीत होता है कि परीक्षा देने वाला छात्र प्रवेश पर
 एडमिशन लेने वाला छात्र दूसरा है। अतः इन संदिग्ध फोटो प्राप्त वाले छात्रों के विषय पती
 लपट से खाल्य बिना का पेपर दिव्या का समय एडमिशन लेने का इत्यादि जांच में प्रथम
 दृष्टया धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120 B PC व 314 परीक्षा अधी. का अपराध लेना प्रगट होता है।
 इन छात्रों का विवरण निम्नानुसार है। विकास सिंह पिता मोहन लाल सिंह नि. गांधी प्रिमरी स्कूल जो जय
 नंद. ज्योथा, पि. टी. पी. ए. टी. 2009 2 कपिल परते पिता शेर सिंह पते नि. गांधी गैटे रंगव. नर.
 गोरेगोव नि. रा. पी. ए. टी. 2009 3. रवि सोलंकी पिता पी. ए. टी. सोलंकी नि. इलाहाबाद कावेरी कुशी
 धारा पी. ए. टी. 2009 4. दिलीप चोखन पिता प्रताप सिंह उपरान. नि. श्या. हपुरा गणपवानी नि. खरणे पी. ए. टी.
 2009 5. प्रवीण गुप्ता पिता शारदा प्रसाद नि. गांधी धारा नर. गोरेगोव पी. ए. टी. 2009 शिकायत
 13. मे. का. पी. टी. जे. के. गंधी नि. वहीर खान से धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120 B PC व 314 परीक्षा अधी. का अपराध लेना प्रगट
 जांच में लिया गया तथा, लिया गया तथा अधी. खान एच. ए. ए. / सी-310/2014 दिनांक 24/11/14
 नि. या. नि. अधिकार के दायरे में गुरु प्रसाद दिल्ली का मूल शिकायत पत्र

को स्थानान्तरित किया गया या दि. प्र. सं. की धारा 157 'ब' के अन्तर्गत कार्यवाही की गई।
 अभियोगी/सूचनाकर्ता को प्र. सू. पत्र प्रदत्त/पदक संनाया गया। जिन्होंने सही-सही अभिलिखित होना स्वीकार किया। इसकी एक प्रति
 सूचनाकर्ता को निःशुल्क प्रदाय की गयी।

हस्ताक्षर प्रभारी अधिकारी
 * (नाम) दिनेश किरथरे
 * (पद) SI
 * (नं. यदि है) *

अभियोगी/सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा.
 ति.
 माननीय न्यायालय श्री मान. अधी. मखे. मुख्य च्यपके दण्डाधीकारी मखे. की ओर सूचनाथ.
 मखे. भोपाल